भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **2098**

दिनांक 4 जुलाई , 2019 / 13 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

महिला कर्मचारियों का उत्पीड़न

2098. श्री एम. सेल्वराज:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारियों/ सहकर्मियों द्वारा उड़ान में साथी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले बड़ी संख्या में दर्ज किए गए हैं और यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दर्ज किये गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और इन शिकायतों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विमान कंपनी-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): जी, हां। एयरलाइनों से प्राप्त सूचना में एयरलाइनों द्वारा ऐसे 15 मामले सूचित किए हैं, जिनमें से 10 मामले एअर इंडिया, 2 मामले इंडिगो, 2 मामले विस्तारा तथा 1 मामला जेट एयरवेज से सम्बद्ध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा बनाम राजस्थान सरकार के मामले में दिए गए न्यायनिर्णय के अनुसार ऐसे मामलों का समाधान संबंधित संगठन / नियोक्ता की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) द्वारा किया जाना है। एयरलाइनों द्वारा इन सभी 15 मामलों की जांच किए जाने तथा आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की अनुशंसा के अनुसार कार्रवाई किए जाने की पुष्टि कर दी गई है।

(ख): कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 की धारा 16 में शिकायत की विषय वस्तु तथा उत्पीड़ित महिलाओं, प्रतिवादियों एवं गवाहों इत्यादि से संबंधित विवरण के प्रकटन के प्रति प्रतिबंध के कारण ऐसे मामलों का सहभाजन एयरलाइनों द्वारा नहीं किया गया है

*****